

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002832014

दांडिक प्रकरण क.-188/14

संस्थापित दिनांक-21.04.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-रामकृष्ण पुत्र प्यारेलाल लोधी उम्र 24 साल निवासी ग्राम लिधोरा, पिपरई।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 09.01.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी दाखाबाई ने दिनांक 21.01.14 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त दिनांक को रात्रि 12 बजे आरोपी आया और फरियादिया के साथ छेड़छाड़ की और बुरी नीयत से उसे छुआ तथा उसके चिल्लाने पर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-
1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.01.14 को रात्रि करीब 12 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम लिधौराकला में फरियादी दाखाबाई के घर में सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले घुसकर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत दाखाबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसके ब्लाउज के बटन खोलकर बुरी नीयत से उसकी छाती पर हाथ फेरा ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में अ.सा. 01 दाखाबाई, अ.सा. 02 प्रेमनारायण की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 दाखाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गया था और देखने पर वह भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार जो व्यक्ति उसके घर में घुसा था उसके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई और जब उसके पति घर पर आए तब उसने घटना के बारे में उनको बताया। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा थाने पर दिए गए आवेदन प्रपी 02 के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को रात्रि में उसके घर में घुसा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा बुरी नीयत से उस पर हाथ फेरा गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस को कथन नहीं दिया।

08— अ.सा. 02 प्रेमनारायण ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस आया था, ऐसा उसकी पत्नी ने उसे बताया था। अ.सा. 02 के अनुसार सुबह उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस को कोई कथन दिया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त दोनों साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले की फरियादिया ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर में नहीं घुसा था। अ.सा. 02 ने भी अपनी साक्ष्य में ऐसा नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर में घुसा था। मामले की फरियादिया ने अपने कथनों में यह भी नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई या उसे गलत नीयत से छुआ गया। उपरोक्त साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादिया के घर में रात्रि में घुसा था। अभियोजन साक्ष्य से यह भी कहीं प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादी की छाती पर बुरी नीयत से हाथ फेरा गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति फरियादिया का ब्लाउज मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)